

2018/00333

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम


रायसिंहनगर

बनाम धरम
सुधीर सुभा लखाना

किस्म मुकदमा दुही

मुकदमा नं. 140
12618

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12618	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/320 दिनांक 12/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>बावना</u> में प्रार्थीगण के नाम चक <u>सावना</u> की जमाबन्दी सम्वत् 20174 के खाता नं. 31 ... में खातेदार <u>सुधीर वधु सुखिछर को. लखाना</u> अकित है। जिसका नाम <u>सुधीर वधु सुखिछर को. लखाना</u> है। जिसकी <u>सुधीर वधु सुखिछर को. लखाना</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 12/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक <u>सावना</u> के खाता नं. 31 में दर्ज खातेदार <u>सुधीर वधु सुखिछर को. लखाना</u> दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फौंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	


 उप जिला कलक्टर
 राजस्व लोक अदालत
 रायसिंहनगर द्वार-2018
 कैम्प कोर्ट
 ग्राम पंचायत (राजस्व) रायसिंहनगर